


24/11/2019

पत्रावली भाज प्राथमिक के प्रार्थना पत्र पर पेशी में
ली गई। वकील प्राथमिक उपस्थित। मूल वाद परिये
विद्वेष श्वारिज किया जा चुका है अब इस प्रार्थना
पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।
प्राथमिक का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर श्वारिज
किया जाता है प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर।
बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय भाज दिनांक 24/11/19 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीवाराणसी (रीकॉर्ड)